कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.08.2023

थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना-कारित करने वाले मृतक के पुत्र, पत्नी व साला गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-191/2023 धारा 302/201 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले मृतक के पुत्र, पत्नी व साले को आज दिनांक 12.09.2023 समय समय करीब 10.45 बजे स्थान पलहीपट्टी चौराहे से आगे बह्मबाबा मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा आलाकत्ल चारा मशीन गडासा व लोहे का राड बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 05/06.05.2023 की रात को मृतक रामधनी दुबे की गला काटकर हत्या कर दी गयी थी जिसकी सूचना परिवारीजन द्वारा पुलिस को दी गयी। मृतक के पुत्र अभिषेक दूबे द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0स0 191/2023 धारा 302 भादवि बनाम बइस्तवाह पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक चोलापुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचना व अन्य साक्ष्य संकलन से मृतक के साला तारकेश्वर उर्फ ताड़क चौबे द्वारा अपने भांजा वादी मुकदमा अभिषेक दूबे व अपने बहन सरोजा देवी के साथ मिलकर रामधनी दुबे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर देने की बात प्रकाश में आयी। जिनको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्तगण अभिषेक दूबे, सरोजा देवी व ताड़क से हत्या करने का कारण पूछा गया तो उन्होने बताया की रामधनी दूबे हम लोगो के मना करने के बाद भी झाड फूक का काम करते थे तथा और आस पास के महिलाओ के आने पर उनके ऊपर बुरी नजर रखते थे जिससे महिलाये आना बन्द कर दी तथा रोज गांजा पीते थे और अपनी स्वयं की लडकियों के साथ सम्बन्ध बनाये है तथा सबसे छोटी लडकी जिसकी उम्र अभी 16 वर्ष है उसके साथ भी सम्बन्ध बनाने की कोशिश करते थे हम लोग कई बार उनको समझाने का प्रयास किये किन्तु मानने को तैयार नहीं होते थे घटना के दिन भी छोटी लडकी के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किये तो हम लोगो ने आजिज आकर योजना के तहत राड लगे गडासा से रात्रि के समय जब वह गांजा पीकर सो गये तो हम लोगो ने उनके कमरे मे गये और तारकेश्वर उर्फ पिन्टू ने उनकी गर्दन को काट कर उनकी हत्या कर दिये और हम लोगो ने राड व गडासा को ले जाकर गाँव के ही पोखरे मे फेक दिया व पुलिस को गुमराह करने के लिये खुद ही मुकदमा जाकर लिखा दिये व शक दूसरे पर जाहिर कर दिये जिससे पुलिस हम लोगो पर शक न करे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभिषेक दूबे पुत्र रामधनी दूबे निवासी ग्राम नेहियाँ थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष।

2. तारकेश्वर उर्फ ताड़क पुत्र स्व0 जीतनारायण उर्फ जीत्तन चौबे निवासी दुधौड़ा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र 40 वर्ष।

3.सरोजा देवी पत्नी स्व0 रामधनी दूबे निवासी नेहियां थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र 48 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त चारा मशीन गडासा व लोहे का राड ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

1.प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

2.व0उ0नि0 श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

3.उ0नि0 श्री राहुल मौर्या चौकी प्रभारी गोसाईपुर थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

4.उ0नि0 उदयनारायण यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

5. हे0का0 रामजी यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

6. हे0का0 अवधराज यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

7. हे0का0 संजीव कुमार सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

8. म0का0 रेखा सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।